झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / प्र0स्वी0–179 / 2014.................................. राँची, दिनांक–...........................

प्रेषकः

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची प्रक्षेत्राधीन, पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत लब्जी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रू० 1090.50 लाख (दस करोड़ नब्बे लाख पचास हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची प्रक्षेत्राधीन, पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत लब्जी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रू० 1090.50 लाख (दस करोड़ नब्बे लाख पचास हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 इस कार्य हेतु 52.56 एकड़ रैयती भूमि का भूअर्जन किया जाना है एवं 153.05 एकड़ वनभूमि अपयोजन किया जाना है। इस हेतु प्रस्तावित कार्य में B-Land मद में रू0–3,62,00,000 का प्रावधान L-S रूप में किया गया है।

4 इस योजना से कुल 650 हे० (खरीफ–550 हे० एंव रब्बी–100 हे०) सिंचन क्षमता का सृजन होगा। योजना का इंसीडेस ऑफ कॉस्ट रू० 1.67769 लाख प्रति हे० आकलित है। योजना का B.C Ratio [@ 10% Interest] 1.13 है।

5 इस योजना में Construction of Earthen Dam, Head Regulator, Spillway and Distribution Channel with Canal इत्यादि निर्माण का प्रावधान है।

6 प्रस्तावित कार्य स्थल का विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत कर जल की उपलब्धता एंव कमांड क्षेत्र का आकलन किया जाएगा। तदनुसार रूपांकण कर ही प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जाएगी।

7 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ किया जाएगा।

8 इस कार्य पर होने वाला व्यय की राशि ''बजट शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्य–101–सतही जल–19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य ''अंतर्गत भारित होगा।

9 इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें एंव मुख्य अभियंता, लघु सिंचाइ राँची नियंत्रण पदाधिकारी होगें।

10 इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11 इस कार्य के राशि की निकासी मेदिनीनगर कोषागार से किया जाएगा।

12 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

15 इस कार्य पर माननीय मुख्य (योजना) मंत्री का अनुमोदन निम्न शर्त्त के साथ प्राप्त है:–

'' पहले भू–अर्जन तथा वन भूमि अपयोजन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर जमीन जल संसाधन विभाग के दखल–कब्जे में आने के पश्चात् ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।''

16 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / प्र0स्वी0–179 / 2014.................................... राँची, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ / योजना विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / प्र0स्वी0–179 / 2014.................................... राँची, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / प्र0स्वी0–179 / 2014.................................... राँची, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / प्र0स्वी0–179 / 2014.................................... राँची, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः आयुक्त पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / प्र0स्वी0–179 / 2014.................................... राँची, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / प्र0स्वी0–179 / 2014 18/14-15 प्र. स्वी. **राँची, दिनांक–** 28.07.2014

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)